मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :— श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

पवन कुमार बनाम रामचन्द्र आदि

दावा बाबत :— 88 RTAct

मुकदमा नम्बर :— 182/2021

निर्णय दिनांक :— 18-10-2021

वादी की ओर से वकील पूनमचन्द वर्मा की व प्रतिवादी सं0 1,2,3,5,6 की ओर से वकील अक्षय वर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18-10-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा बीबीपुर के खाता सं० 85/84 के खसरा सं० 24, 37, 38, 210 व 223 कुल 15.354 है० बारानी खातेदारी वादभूमि प्रतिवादी सं० 1 रामचन्द्र के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से अकेले प्रतिवादी सं० 1 के बजाए वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 व 3 संयुक्त रूप से 5/7 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 1 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 4 का 1/7 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व रोही मौजा बीबीपुर के खाता सं० 51/47 के खसरा सं० 27, 28, 29 कुल 5.337 है० बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/6 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से अकेले प्रतिवादी सं० 1 के बजाए वादी व प्रतिवादी सं० 2 व 3 का संयुक्त रूप से 5/42 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 1 का 1/42 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 4 का 1/42 हिस्सा के खातेदार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चूंकि प्रतिवादी सं० 5 व 6 ने ऊपर वर्णित वादभूमि के दोनों खातों में से अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। तहसीलदार को डिक्री का भाग पठा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:46:08 IST
Reason: SelfAttested

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़
शुक्तपुरा

Scanned with CamScanner